

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 अगस्त 2012—भाद्र 5, शक 1934

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-3-99-चौदह-3.—में यह संशोधन कर राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसका प्रकाशन धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में किया जा चुका है, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 7 के उप नियम (2) के खण्ड (ख-ख) में शब्द “रकम दस प्रतिशत में से दो प्रतिशत रकम” के स्थान पर शब्द “रकम दस पैसे में से एक पैसे रकम” स्थापित किए जाए.
2. नियम 7 के उप नियम (2) के खण्ड (ख-ख) में निम्नानुसार परन्तुक को स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि, वित्तीय वर्ष अंत अर्थात् 31 मार्च को, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना” मद अंतर्गत, शेष कुल अनउपयोगित धनराशि में से अस्सी प्रतिशत धनराशि प्रबंध संचालक द्वारा “कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि” में जमा की जाएगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
केदार शर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-3-99-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 27 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
केदार शर्मा, अपर सचिव.

---

Bhopal, the 27th August 2012

No. D-15-3-99-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (XXI) of sub-section (2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby make the following amendment in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (State Marketing Development Fund) Rule 2000, the same have been published as required by sub-section (1) of Section 79, namely:—

AMENDMENT

1. In the said rules, clause (b-b) of sub-rule (2) of Rule 7, in place of words "two percent amount out of ten percent amount" the following words shall be substituted" one paisa amount out of ten paisa amount".
2. After the clause (b-b) of sub-rule (2) of Rule 7, following proviso shall be inserted, namely:—

"Provide further that, on the financial yearend, i.e. 31st March, eighty percent funds from the total unutilized funds, available for "Chief Minister's Farmers Life Welfare Scheme", shall be deposited by the Managing Director in "Agriculture Research and Infrastructural Development Fund"."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
KEDAR SHARMA, Addl. Secy.